कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1189 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 20.05.2002

प्रति,

समस्त उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः—संपत्ति का पूर्ण विवरण तथा पक्षकारों के पूर्ण पते दस्तावेजों में लिखवाये जाने बाबत।

पंजीयन कार्यालयों के निरीक्षण के समय मेरे ध्यान में यह तथ्य आया है कि अधिकतर स्थानों पर दस्तावेजों में संपत्ति का पूर्ण विवरण तथा चतुर्सीमा स्पष्ट रूप से अभिलिखित नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए एक स्थान पर एक दस्तावेज में यह बताया गया है — पूर्व में रास्ता, पश्चिम में प्लाट, उत्तर में प्लाटा, दक्षिण में मकान। इस प्रकार दस्तावेज में चतुर्सीमा पूण्रतः अस्पष्ट है। यह स्थिति उचित नहीं है। पंजीयन अधिनियम की धारा 21 तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 एवं भारतीय स्टाम्प (म.प्र. लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियम 1975 के नियम 3 के अनुसार संपत्ति का पूर्ण तथा सत्यतापूर्वक विवरण दस्तावेज में दिया जाना अनिवार्य है, तथा इस प्रावधान का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये।

इसी प्रकार दस्तावेज में पक्षकारों तथा गवाहों का पूरा पता दिया जाना आवश्यक है। परंतु निरीक्षण के दौरान मैंने यह पाया है कि अधिकतर दस्तावेजों में पक्षकारों के पूरे पते नहीं लिखवाये जा रहे हैं, जिससे दस्तावेज से सबंधित स्टाम्प प्रकरणों आदि में संबंधित पक्षकारों के पूर्ण पते न होने के कारण सूचना पत्र तामील नहीं हो पाते है, तथा आर.आर.सी. प्रकरणों में बकाया राजस्व की वसूली संभव नहीं हो पाती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पंजीयन हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में पक्षकारों तथा गवाहों के पूर्ण तथा स्पष्ट पते लिखवाये जायें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / 1190 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 20.05.2002
प्रतिलिपि —

समस्त जिला पंजीयक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश